Toppersnotes
Unleash the topper in you

# JPSC

## State Civil Services

**Jharkhand Public Service Commission**

**(Preliminary & Main)**

## पेपर - 2 भाग - 1

## राजव्यवस्था
## (भाग - 1)

SIERRA INNOVATIONS

# JPSC

# राजव्यवस्था (भाग - १)

## विषय-सूची


| क्र.सं. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य | 1 |
| 2. | संविधान निर्माण | 4 |
| 3. | संविधान | 6 |
| 4. | संसदीय शासन प्रणाली | 11 |
| 5. | परिसंघीय/व्यवस्था | 16 |
| 6. | उद्देशिका | 23 |
| 7. | संघ व राज्य | 29 |
| 8. | नागरिकता | 34 |
| 9. | मूल अधिकार | 35 |
| 10. | राज्य के नीति निर्देशक तत्व | 55 |
| 11. | मूल कर्तव्य | 61 |
| 12. | संविधान संशोधन | 65 |
| 13. | शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त | 68 |
| 14. | संघ | 70 |
| | • राष्ट्रपति | 70 |
| | • उपराष्ट्रपति | 84 |
| | • मंत्रिपरिषद | 85 |
| | • प्रधानमंत्री | 88 |
| 15. | संसद | 92 |
| 16. | राज्य | 112 |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | भारतीय न्यायिक व्यवस्था | 125 |
| 18. | स्थानीय सरकार | 141 |
| 19. | संघ–राज्य क्षेत्रो से संबंधित प्रावधान एवं विशेष क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध | 151 |
| 20. | संघ राज्य संबंध | 156 |
| 21. | विभिन्न प्राधिकरण एवं उनसे संबंधित प्रावधान | 162 |
| 22. | निर्वाचन संबंधित मुद्दे | 169 |
| 23. | अन्य उपबंध | 173 |
| 24. | भारत का नियन्तक एवं महालेखापरीक्षक | 176 |

# संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- ब्रिटिश कालीन विकास
- संविधान का निर्माण

ब्रिटिशकालीन विकास

- 1857 से पूर्व
- 1857 के पश्चात्

**U.K.**

- नियंत्रक मण्डल (6 सदस्यीय) सरकारी निकाय
- निर्देशक मण्डल (कम्पनी का निकाय)

गवर्नर जनरल

- 1853 से विधायी परिषद
- कार्यकारणी परिषद
  - गवर्नर
- उच्चतम न्यायालय

**UK**

- ताज
  - प्रधानमंत्री
    - संसद
    - भारत मंत्री (15 सदस्यीय समिति)
      - वायसराय (ताज का एजेन्ट)

**भारत**

- कार्यकारणी परिषद
  - गवर्नर
- विधायी परिषद
- उच्चतम न्यायालय
  - उच्च न्यायालय
- विधायी संस्था
  - प्रधानमंत्री

<u>1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट</u>

- उच्चतम न्यायालय की स्थापना
- इसकी अधिकारिता – दीवानी, फौजदारी

<u>1813 का एक्ट</u>

- प्रथम बार **DPSP** के लक्षण
- भारतीय शिक्षा पर व्यय का लक्ष्य

1833 का एक्ट

- प्रथम बार मूल अधिकार के लक्षण

लोक-सेवाओं की भर्ती में यह प्रावधान किया गया कि धर्म, जाति, जन्म, कर्म या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

1853 का एक्ट

- विधायी परिषद का सृजन
- योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली का प्रारंभ

1861 का एक्ट

- विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने का अवसर वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को वीटो की शक्ति

1892 का एक्ट

- बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया।
- प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- सिविल सेवाओं का तीन भागों में विभाजन किया गया।

1. इम्पीरियल सेवा (शाही)
2. प्राविन्सियल सेवा (प्रान्तीय)
3. सबार्डिनेट सेवा (अधीनस्थ)

1909 का एक्ट

- सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार ।
- पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ।
- साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ।

1919 का एक्ट

- स्त्रियों को मत देने का अधिकार ।
- प्रान्तों में द्वैध शासन प्रारम्भ ।

विषयों का द्विविभाजन

वायसराय के पास आरक्षित विषय — गवर्नर को हस्तांतरित विषय

स्थानीय शासन - प्रान्तीय हस्तांतरिक विषय

1953 का एक्ट

- प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।
- संघीय व्यवस्था प्रारम्भ की गयी ।
- केन्द्र एवं प्रान्तों में अलग-अलग सरकारों का प्रावधान
- केन्द्र एवं प्रान्तों के मध्य विषयों का बंटवारा - केन्द्र सूची, प्रान्तीय सूची व समवर्ती सूची के रूप में
- संसदीय शासन प्रणाली की शुरूआत
- केन्द्र एवं प्रान्तों के लिये अलग-अलग न्यायालय एवं अलग-अलग लोक सेवा आयोग का प्रावधान ।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

# संविधान निर्माण

- योजना – कैबिनेट मिशन द्वारा
- निर्वाचन – जुलाई 1946 में (संविधान सभा के गठन हेतु)
- गठन की घोषणा – नवम्बर 1946
- बैठक पत्र आयोजन – प्रथम बैठक – 9 दिसम्बर 1946 – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष दूसरी बैठक –
- 11 दिसम्बर 1946 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद – अध्यक्ष
- 13 दिसम्बर 1946 – पं. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत
- 22 जनवरी 1947 – संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार्य किया गया यही संविधान निर्माण के बाद उद्देशिका के रूप में परिवर्तित हुआ ।
- संवैधानिक सलाहकार – बी. एस. राव
- विभिन्न समितियों का गठन

  21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट सभा में प्रस्तुत

चर्चा:– तीन वाचन प्रस्तुतीकरण, बहस, मतदान

24 नवम्बर 1949 को संविधान सभा औपचारिक रूप से तैयार

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा की हस्ताक्षर

निर्वाचन का आधार

अब्दुल कलाम (प्रथम शिक्षा मंत्री) सामान्य सिक्ख मुस्लिम

& अनुसूचित जाति
& अनुसूचित जनजाति
- एंग्लो इंडियन
- पिछडा वर्ग

समीक्षा :–

संविधान सभा की इस आधार पर आलोचना की गई कि उसमें एक विशेष जाति वर्ग का प्रतिनिधि/प्रभुत्व था। चर्चिल के अनुसार संविधान सभा में एक ही बडी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ है। लाइमन ने कहा यह हिन्दुओं की सभा है । किन्तु उपयुक्त आलोचनायें उचित नहीं है डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने इसे गलत बताते हुये कहा कि संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था और उपयुक्त तथ्यों से गलत एवं दुष्टता पूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

उन्होंने इसके लिये पहली बैठक का उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें 155 हिन्दू, 30 अनुसूचित जाति पाँच सिक्ख, 6 ईसाई 3 एंग्लो इंडियंस और 3 पारसी सम्मिलित हुये थे, 80 मुस्लिम सदस्यों में से पहली

बैठक में 4 सदस्यों ने भाग लिया था, साथ ही संविधान सभा का निर्वाचन भी सामान्य, सिक्ख, मुस्लिम आधार पर हुआ था । अतः यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था ।

संविधान सभा का सम्प्रभुत्त स्वरूप :-

यह आलोचना की गई, कि संविधान सभा सम्प्रभु नहीं थी किन्तु इसे उचित नहीं माना जा सकता । संविधान सभा की दूसरी बैठक में गोपाला स्वामी आयंगर ने कहा कि जिस कार्य के लिये संविधान सभा एकत्र हुई है, उसके लिए यह पूरी तरफ प्रभुत्व सम्पन्न है ।

यद्यपि संविधान सभा का गठन, ब्रिटिश सरकार की योजना के अधीन किया गया किन्तु संविधान सभा के गठन में योगदान जनता का था । संविधान सभा की कार्यप्रणाली और सभी सीमायें स्वयं संविधान सभा के द्वारा परस्पर सहमति से की गयी निर्धारित की गयी । और उसमें परिवर्तन की शक्ति भी संविधान सभा के पास ही थी। जनता के पास शक्ति के इस भाव को पं. नेहरू ने प्रकट करते हुये कहा कि सरकारें राज मतों से पैदा नहीं होती है, वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है । हम आज इसलिये यहाँ पर एकत्र हो पाये हैं । क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है और जहाँ तक जनता चाहेगी वहाँ तक हम जायेंगे ।

संविधान सभा के विघटन की शक्ति भी स्वयं संविधान सभा के पास थी और ऐसा तब हो सकता था । जब इस आशय का प्रस्ताव संविधान सभा के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य पारित करें। पुरूषोत्तम दास टण्डन ने इसे सम्प्रभु सभा घोषित करते हुये कहा कि इसकी तुलना फ्रांस की संविधान सभा से की जा सकती है, जो राजा के आदेश पर गठित हुई किन्तु जब राजा ने विघटित होने का आदेश दिया तब उसने मना कर दिया ।

# परिचय

संवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं ।

असंवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं हैं और संविधान के विपरीत हैं।
– ये अमान्य होते हैं ।
– प्रचलन में नहीं होते हैं ।

गैर संवैधानिक प्रावधान : – वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं हैं, किन्तु संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं ।
– ये मान्य होते हैं ।
– ये प्रचलन में होते हैं ।
– ये समय-समय पर उपयोग होते रहते हैं ।

संवैधानिक प्रावधान :– वे प्रावधान, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए ।

कार्यकारी प्रावधान :– वे प्रावधान जो सरकार के आदेश/मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो ।

## कुछ संकल्पनायें

राज्य (State) : भौगोलिक क्षेत्र
निश्चित भू-भाग
जनसंख्या
सरकार
संप्रभुता (सर्वोच्च शक्ति) (बाह्य विहीन)

देश/राष्ट्र :– राज्य + निष्ठा

भारत एक राज्य है – संकल्पना
भारत एक राष्ट्र है – व्यावहारिक रूप में

सरकार :–राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था

## राज्य का स्वरूप

| पुलिस राज्य | कल्याणकारी राज्य (**Welfare State**) |
|---|---|
| अभिजात्य वर्ग/ शासक के हितों के लिए कार्य करना | शासितों (लोग/जनता) के हितों के लिए कार्य करना |
| उदाहरण : स्वतंत्रता से पूर्व भारत | उदाहरण : स्वतंत्रता के बाद भारत |

सरकार लोगों के हितों के लिये कार्य कैसे करती है ?

सरकार के कार्य — संस्था

शक्तियाँ
- कानून बनाती – विधायिका
- कानून लाए – कार्यपालिका — 3 अंग
- न्याय प्रदान करना– न्यायपालिका

नीति लागू/नीति बनाना– शासन Act/Activity

सरकार संस्कृति अर्थ

सरकार के अंग (व्यापक रूप में) समूह
- विधायिका
- कार्यपालिका
  - राजनीतिक कार्यपालिका — उदाहरण मंत्रिपरिषद
  - प्रशासनिक कार्यपालिका — उदाहरण सिविल सेवकों का
- न्यायपालिका

नौकरशाही (Bureacracy)
- चयनित
- निश्चित योग्यता
- निश्चित कार्यकाल

प्रशासन → नीतियों को लागू करना

शासन :– सरकार जो कुछ करती है तथा जिस विधि/रीति से करती है, उसे शासन कहते हैं । इसके अन्तर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करवाना सम्मिलित किया जाता है ।

प्रशासन :– यह सरकार का कार्यकारी अंग है, सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों निर्णयों आदि को लागू करना, प्रशासन कहलाता है ।

राजव्यवस्था, संविधान, शासन
- सरकार का अध्ययन → निर्माण, कार्य आदि
- सरकार की क्रियाविधि (कार्यप्रणाली)

राज्य व्यवस्था :– राज्य के निर्माण आदि का अध्ययन

राजनीति (Politics) :– राज्य के लिए निर्मित की जाने वाली नीति

राजनेता :– राजनीति का व्यवहार करने वाले

राजनीतिज्ञ :– राजनीति का विशेष ज्ञान रखने वाले

# संविधान

संविधान किसी देश की सर्वोच्च व मूलभूत विधि है जो सरकारों के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करती है ।

## संविधान के प्रकार :-

1. लिखित – दस्तावेज के रूप में संविधान विद्यमान हो ।
   उदाहरण : भारत, U.S.A. आदि

2. अलिखित – दस्तावेज के रूप में संविधान न हो।
   उदाहरण : ब्रिटेन

| भारत का संविधान | | | |
|---|---|---|---|
| | भाग | अनुच्छेद | अनूसूची |
| मूल भाग संविधान | 22 | 395 | 8 |
| वर्तमान संविधान | 25 | 460 से अधिक | 12 |

| अनुसूचियाँ | |
|---|---|
| अनुसूची | विषय |
| पहली अनुसूची | राज्य एवं संघ + राज्य क्षेत्र के नाम |
| दूसरी अनुसूची | विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि |
| तीसरी अनुसूची | शपथ के प्रारूप |
| चौथी अनुसूची | राज्य सभा में स्थानों का आवंटन (बँटवारा) |
| पाँचवीं अनुसूची | असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को छोडकर अन्य राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन |
| छठी अनुसूची | असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन |
| सातवीं अनुसूची | संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण<br><br>कानून बनान की शक्ति<br>• संघ सूची – संसद<br>• राज्य सूची – राज्य विधान मंडल<br>• समवर्ती सूची – दोनों |
| आठवीं अनुसूची | भाषाएँ<br>मूल संविधान – 14<br>वर्तमान संविधान – 22 |
| नौवीं अनुसूची | (I$^{st}$ संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोडा गया) – कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण |
| दसवीं अनुसूची | (52$^{th}$ संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोडा गया) – दल – बदल विरोध प्रावधान |

| | |
|---|---|
| ग्यारहवीं अनुसूची | (73rd संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोडी गयी) पंचायतों के अधिकार शक्तियाँ व उत्तरदायित्व – 29 विषय |
| बारहवीं अनुसूची | (74th संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोडी गई) नगरपालिकाओं के अधिकार शक्तियों व उत्तरदायित्व – 18 विषय |

## संविधान की विशेषताएँ:-

भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान – आइवर जेनिंग्स

(i) ब्रिटिश विधि शास्त्री आइवर जेनिग्स ने भारतीय संविधान को विश्व के विशालतम संविधान की संज्ञा दी है भारत के संविधान के विशालता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है–
भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है एवं सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से विविधता युक्त है अतः इस विशालता व विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के समाधान के लिये संविधान में अनेक प्रावधानों का समावेश करना पडता है । जैसे – संघ, राज्य दोनों के विषय में प्रावधान, अनुसूचित व जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रधान, आदि ।

(ii) भारतीय संविधान पर ऐतिहासिक विरासत की स्पष्ट छाप है । संविधान का लगभग 2/3 भाग नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार 1935 अधिनियम पर आधारित है । ये दस्तावेज स्वयं बडे दस्तावेज थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ शामिल की यह ब्रिटिश काल का सबसे बडा कानून था ।

(iii) भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किये गये है । लगभग 1 दर्जन देशों के संविधानों के अच्छाइयों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ।

(iv) भारत एक संघीय राज्य है । संघीय राज्यों में संघ व राज्यों के संविधान अलग होते है जबकि भारत में संघ व राज्यों के लिये एक ही संविधान निर्मित किया गया है ।

(v) भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है जो सामान्यतः संविधान की विषय वस्तु नहीं होती है और अन्य देशों में उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया है । जैसे– लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान आदि ।

आलोचना :– जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुऐ इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है उन्होंने संविधान की यह आलोचना निम्नलिखित दो आधारों पर की है

(i) भारतीय संविधान विशाल होने के कारण अनेक विवादों को संविधान के दायरे में रह कर उत्पन्न होने का अवसर देता है जिसका समाधान न्यायालय द्वारा वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क व दलिलों के आधार पर किया जाता है ।

(ii) जेनिंग्स ने संविधान की भाषा शैली को संविधान का दुर्गुण बताया है । संविधान की जटिल भाषा शैली सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है और अनेक अवसरों पर यह एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ या व्याख्या उत्पन्न करती है । संविधान की सही व्याख्या का निर्णय अन्ततः न्यायालय करता है किन्तु न्यायालय वकीलों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसा निर्णय करता है ।

भारत का संविधान एक गृहित संविधान है :- संविधान का लगभग दो तिहाई भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है । इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण किया गया है ।
इस प्रकार भारतीय संविधान मौलिक रचना नहीं है बल्कि व्यावहारिक रचना है अर्थात् यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के स्वतंत्र चिन्तन की उपज नहीं है बल्कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों का अध्ययन इस मूल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान सरकारों के संचालन में कितनी सुविधायें और असुविधायें उत्पन्न करते है । जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया, उन्हें संविधान में शामिल किया किन्तु भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को उसी रूप में अपनाया नहीं गया है बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित कर प्रासंगिक बनाया गया है और संविधान में सम्मिलित किया गया है ।

उदाहरणार्थ :- नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैण्ड से लिया गया है किन्तु भारतीय संविधान में शामिल किये गये ये तत्व आयरलैण्ड की संविधान की तुलना में अत्यन्त व्यापक है ।

नम्यता व अनम्यता का मिश्रण :- नम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन करना अत्यन्त सरल हो । जैसे - ब्रिटेन का संविधान ।

अनम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संविधान संशोधन करना जटिल हो । जैसे - अमेरिका का संविधान ।

भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और न ही अमेरिका की संविधान की भाँति कठोर है, बल्कि संविधान संशोधन के सन्दर्भ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है । भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दो तरीके से संशोधन किया जा सकता है -

विशेष बहुमत द्वारा - विशेष बहुमत कम से आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा

इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत के द्वारा भी संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है किन्तु यह इतना लचीला तरीका है कि संविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देते ।

संविधान में संशोधन की इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिये पंडित नेहरू ने संविधान सभा में तर्क दिया कि हम भारतीय संविधान को गतिशील बनाना चाहते है, जिससे भविष्य में कार्य करने वाली सरकारें आवश्यक्तानुसार संविधान में संशोधन कर सकें और संविधान सरकारों के सुविधाजनक संचालन में सहायक हो सके । इस प्रकार संविधान संशोधन का व्यापक अवसर मिलना चाहिये किन्तु संविधान संशोधन के अवसर उपलब्ध कराते समय यही भी ध्यान रखना होगा कि सरकारें संविधान संशोधन का दुरूपयोग कर संविधान में मनमाने संशोधन न कर सके। यही कारण है कि इन दोनों विरोधाभाषी दृष्टिकोणों के मध्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनायी गयी है और माध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुये इसे सभ्यता और असभ्यता का मिश्रण बनाया गया है ।

# संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)

शासन
- एक व्यक्ति का शासन – एकतंत्र (Monocracy)
- सभी व्यक्तियों का शासन – लोकतंत्र (Domocracy)
  - आचरण एवं व्यवहार पर आधारित
    - प्रत्यक्ष (Direct) – लोगों की सीधे भागीदारी
    - अप्रत्यक्ष (Indirect)

↓

प्रतिनिधि

**Represertative**

- संसदीय शासन प्रणाली
  - जनक– ब्रिटेन
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
  - जनक –USA

लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन । इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की भागीदारी पर आधारित है । यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है । यह लोक सम्प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है । जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है कि ''लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा''।

जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में सम्भव नहीं है । अतः, लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित है जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी बनाती है ।

नोट :– प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन
- पहल (Initiative)
- पुनर्वापसी (Recall)
- जनमत संग्रह (Referendum)
- जनमत संग्रह (Plobisite)

पहल :– इसके अन्तर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर विधायिका के पास भेज सकती है । जनता की इस शक्ति को पहल कहते है ।

पुनर्वापसी (Recall) :–कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापसी कहलाता है और अब व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर भेज दिया जाता है ।

जनमत संग्रह (Referendum) :–किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिये जब लोगों से राय एकत्र की जाये, तो यह जनमत संग्रह कहलाता है । लोगों की राय ही यहाँ समाधान होती है ।

जनमत संग्रह (Plobisite) :– किसी विषय पर लोगों की सोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की राय एकत्र की जाये तब इसे Plobisite कहा जाता है।

| | संसदीय शासन प्रणाली **(Parliamentary System)** | अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली **(Presidential System)** |
|---|---|---|
| 1. | शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित | शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित |
| 2. | शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत | नहीं |
| 3. | नहीं | अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत |
| 4. | दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive)<br>1. राज्य का अध्यक्ष<br>• भारत – राष्ट्रपति<br>• ब्रिटेन – ताज<br>2. सरकार का अध्यक्ष<br>• प्रधानमंत्री | एकल कार्यपालिका–राष्ट्रपति (राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष) |
| 5. | राज्याध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद | नहीं |
| 6. | मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता/शर्तों पर आधारित | नहीं |
| 7. | नहीं | मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के किचेंन कैबिनेट का सदस्य होना आवश्यक |
| 8. | मंत्रियों का उत्तरदायित्व – दोहरा उत्तरदायित्व<br>1. राज्याध्यक्ष के प्रति<br>• भारत – राष्ट्रपति के प्रति<br>• ब्रिटेन – ताज के प्रति<br>2. निम्न सदन के प्रति<br>• लोक सभा के प्रति | एकल उत्तरदायित्व – मात्र राष्ट्रपति के प्रति |
| 9. | सरकार का कार्यकाल – अस्थिर | सरकार का कार्यकाल – स्थिर |

| | गुण | |
|---|---|---|
| 1. | अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली | सरकार का स्थिर कार्यकाल |
| 2. | शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग अतः, टकराव की संभावना क्षीण | प्रभावी निर्णय शक्ति |
| 3. | शक्तियों के निरंकुश होने का खतरा नहीं/कम | राजनैतिक दोष कम |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | | दल – बदल का कोई स्थान नहीं होता |
| दोष | | |
| 1. | सरकार का कार्यकाल अस्थिर (अनिश्चित) | अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी प्रणाली |
| 2. | राजनैतिक दोष के जन्म के अवसर होते है । | शक्तियों के मध्य टकराव की सम्भावना |
| 3. | दल बदल का क्षेत्र | निरंकुशता की सम्भावना |
| 4. | सरकार के पास प्रभावी संदर्भ– क्षमता के अवसर कम | |

<u>भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाये जाने के कारण :–</u>

1. भारतीयों को किसी प्रणाली में सरकार चलाने का अनुभव नहीं था किन्तु ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित की गयी संरचना व कार्यप्रणाली संसदीय प्रणाली पर आधारित थी जिसे स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया । वस्तुतः व्यवहारिक नजरिये से यही उचित था ।
2. संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है ।
3. संसदीय व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष पर अनेक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भाँति शक्तियों के टकराव की संभावना नहीं होती है ।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाना श्रेष्ठ समझा ।

<u>भारत में संसदीय प्रणाली</u> :–

भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अपनायी गयी है हालाँकि संविधान में इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 52, 53(1), 74(1), 75(2), 75(3) के संयुक्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनायी गई है । उच्चतम न्यायालय ने संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है ।

<u>भारत में संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा</u> :–

संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सफल रही है जबकि भारत में यह अधिक सफल नहीं रही है । डी.डी. बसु, बी.एन. शुक्ला जैसे राजनैतिज्ञों का मानना है कि भारत में संसदीय प्रणाली असफल रही है । संसदीय प्रणाली के असफलता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे है–

1. भारत में राजनीति की नैतिकता में गिरावट ।
2. राजनैतिक दलों में अनुशासनहीनता में वृद्धि ।
3. राजनीति में तेजी से बढता हुआ भ्रष्टाचार जैसे – कि आपरेशन दुर्योधन के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि संसद सदस्य, सदन में प्रश्न पूछने के लिये भी लोगों से रिश्वत लेने लगे है ।
4. राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश जिसने अपराधीकरण की राजनीति का रूप धारण कर लिया है भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव एन. बोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के मध्य गठजोड का उल्लेख किया है ।
5. राजनैतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव ।
6. राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में अनुत्तरदायित्व एवं असंवेदनशीलता में वृद्धि ।
7. दल – बदल सम्बंधी दोष जिसने राजनीति में अनेक दोषों को जन्म दिया है ।

8. जनता के मध्य पर्याप्त जागरूकता का अभाव ।
9. जनता की राजनीति एवं सरकार में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी का अभाव ।

1960 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय राजनीति में उपयुक्त पतन के लक्षण दिखाई देने लगे जिसने संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की । परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञों के एक वर्ग के द्वारा यह माँग की जाने लगी कि संसदीय प्रणाली के असफल होने के बाद भारत में अब इसके स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये । इस मुद्दे पर अनेक राष्ट्रीय बहस आयोजित भी की गई तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि भारत में संसदीय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं किन्तु अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसका विकल्प नहीं बन सकती है । साथ ही संसदीय प्रणाली में उत्पन्न दोष ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जिनका निराकरण न किया जा सके । इन दोषों को दूर कर संसदीय प्रणाली को सफल बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।

एस.सी. ने भी भारत में संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है ।

<u>सुझाव/उपाय :-</u>

1. राजनेताओं के लिये कठोर आचार संहिता (Code of Conduct) एवं नैतिक संहिता (Code of Ethics) विकसित किया जाना चाहिये ।
   इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिये और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन की दशा में दण्ड देने हेतु एक निष्पक्ष तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ।
2. राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाना चाहिये । जिन दलों में स्वयं आन्तरिक लोकतंत्र न हो, उन पर चुनाव लडने/निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये ।
3. राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में जवाबदेही एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिये ।
4. राजनैतिक दलों के आय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में पारदर्शिता को बनाया जाना चाहिये ।
5. राजनैतिक दलों द्वारा इस प्रकार की अनेक घोषणायें स्वतः सार्वजनिक की जानी चाहिये तथा राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।
6. राजनैतिक भ्रष्टाचार पर कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाना चाहिये ।
7. राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोका जाना चाहिये । इसके लिये कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिये ।
8. दल बदल सम्बंधित प्रावधान दोषों को दूर किया जाना चाहिये जिससे इसका दुरूपयोग रोका जा सके । जैसे - दल बदल के संदर्भ में अयोग्यता सम्बन्धित कोई निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया जाना चाहिये । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी ।
9. जनता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिये । इसके लिये सिविल समाज के संगठनों आदि की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिये।
10. राजनीति एवं सरकार में लोगों की सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी के लिये उन्हें शिक्षा, प्रेरणा आदि दी जानी चाहिये ।

प्रश्न **1.** भारत में संसदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पडा है । वस्तुतः इन चुनौतियों ने इसे असफलता के द्वार पर ला खडा किया है । इस वाक्य के आधार पर भारत में संसदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का परिक्षण करें ।

प्रश्न **2.** संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुये वे क्या कारण थे जिनके आधार पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक प्रणाली को भारत में अपनाने के लिए श्रेष्ठ बताया । स्पष्ट करें ।

प्रश्न **3.** संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें ।

प्रश्न **4.** भारत में संसदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणों का उल्लेख करें ।

प्रश्न **5.** उन उपायों का रोड मैप तैयार करें जिसके आधार पर भारत के संसदीय प्रणाली में विद्यमान दोषों का निराकरण किया जा सकता है ।

प्रश्न **6.** ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की तुलना के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली असफल है जबकि उन देशों में अपेक्षाकृत सफल है । टिप्पणी करें ।